कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांक: 8/1039/✓ / विकास अनुभाग(जि.यो.2020–21) / दिनांक. 31/08/ 2020

1. **समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।**
2. **समस्त जिला गन्ना अधिकारी / बीज उत्पादन अधिकारी, उ.प्र.।**

विषयः जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यो हेतु मात्राकरण करते हुए बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार एवं कार्यक्रमवार कुल धनराशि रु.263.48 लाख के व्यय के सम्बन्ध में।

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासनादेश सं.–25/2020/787/46–1–20/1000(09)/2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020 का अवलोकन करें, जो जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में **अनुदान संख्या–83** के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु38,46,500, प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु.97,82,925, अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.1,22,925, आधार बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.5,13,900, मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम हेतु रु.49,19,995, पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु रु.37,21,564, बायोफर्टिलाईजर एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम हेतु रु.33,58,754 तथा वानिकी कार्यक्रम हेतु रु.81,437 कुल धनराशि रु.2,63,48,000 लाख के सम्बन्ध में है। अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय एवं उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त शासनादेश में स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यय एवं उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए नही किया जायेगा।

प्रस्तर–1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं.2043सी.डी./46–3–12–1000(38)/2012 दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक

सिद्धान्तों (गाइड–लाइन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या–2464/14–5–2015 –123/2015 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तद्हेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम–10 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

2. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी या बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित लाभार्थियों को सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से डी.बी.टी. व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं. –1/2020/बी–1–149/दस– 2020–231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. संदर्भित योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान वितरण बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
4. आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।
5. सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जाय।
6. योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा जोखा रखने तथा प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

8. स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमाति से ही किया जायेगा।

9. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के **अनुदान संख्या–83** के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **"2401–फसल कृषि कर्म–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–04–गन्ना विकास याजना (जिला योजना)–27 सब्सिडी"** के नाम डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं.–1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः 6/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–07/26–ब.प्र.2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।

अवमुक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित करते हुए इसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, इलाहाबाद, वित्त विभाग, शासन तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना ससमय सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 6/1039/सी तद्दिनांकः 31/8/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. शासन।
2. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।

(श्रीनाथ सिंह कुशवाहा)
वित्त नियंत्रक,
कार्यालय गन्ना एवं चीनी
उत्तर प्रदेश

संख्या: 25/2020/787 /46-1-20-1000(09)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(समस्त सम्बन्धित जनपद)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2020

विषयः- जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में **अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति)** के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यों हेतु मात्राकरण करते हुए आयोजनागत पक्ष में बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार/कार्यक्रमवार वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या-कै/797/सी./विकास/जिला योजना, दिनांक 09-06-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) में प्राविधानित **धनराशि रू. 263.48 लाख (रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख अड़तालिस हजार मात्र)** को, **संलग्नक** में यथा उल्लिखित जनपदवार/कार्यक्रमवार व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में यथा- नियम, उसी सीमा तक धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में बजट का प्रावधान/आवंटन किया गया है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नही किया जायेगा।

2. जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

3. प्रस्तर.1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in